न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 17/19 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2019/00125

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र मवासी
2. हरीचरन पुत्र धन सिंह
3. कप्तान सिंह पुत्र धन सिंह
4. चन्द्रभान पुत्र धन सिंह

} जाति काछी निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. उत्तम सिंह
2. रामजीलाल
3. अनेक सिंह

} पुत्रान विजय सिंह जाति ठाकुर नि0 रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

4. निरंजन सिंह पुत्र रज्जूराम जाति लोधा निवासी लखनपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रूपवास दि0 15.05.2018 प्र.सं. 205/14 उनवानी उत्तम सिंह बनाम रामजीलाल।

उपस्थित :–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एवं हेमराज शर्मा वकील अपीलांट।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–07.11.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अंतर्गत धारा 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1968/1351 रकवा 1.15 बीघा वाके ग्राम रूदावल तहसील रूपवास में स्थित है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण अपीलाण्ट का कभी कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है एवं ना ही किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1353/1.05 वाके ग्राम रूपवास में स्थित है। प्रतिवादीगण अपीलाण्ट ने अपनी आराजी की आड में वादी रैस्पो0 की आराजी को घेरते हुये नींव खोदना प्रारम्भ कर दिया है। वादी रैस्पो0 ने जब नींव खोदने की मना की तो वह झगडा फसाद को उतारू हो गये। यदि प्रतिवादीगण अपीलाण्ट अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रैस्पो0 को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं आये, अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश राजस्व कैम्प में पारित किया है। खसरा नम्बर 1698/1351 रैस्पो0 की खातेदारी की है। अपीलाण्ट का खसरा नम्बर 1353 रकवा 01 बीघा 05 विस्वा का है। धारा 188 राजस्थान काश्तकारी में यह बताना होगा कि अपीलाण्ट ने रैस्पो0 की आराजी में किस प्रकार दखलअंदाजी की, परन्तु प्रकरण में इस तथ्य बाबत् कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं हुयी। अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी में पक्का निर्माण करने की कोई साक्ष्य ही नही है। राजस्व कैम्प कोर्ट में वादी रैस्पो0 अनुपस्थित रहे हैं। अतः दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज होना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करते हुये दावा वादी रैस्पो0 बिना दस्तावेजी साक्ष्य के डिक्री कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है। प्रकरण में यह तथ्य साबित ही नहीं है कि किस प्रकार की धमकी दी गयी है। मात्र रिकार्ड खातेदार के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को पाबन्द नहीं करा सकते। साक्ष्य आना जरूरी है, जो अधीनस्थ न्यायालय में हुयी ही नहीं। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी संवत 2061-72 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैस्पो0 विवादित आराजी खसरा नम्बर 1968/1351 रकवा 1.15 बीघा वाके ग्राम रूदावल तहसील रूपवास के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी के अपीलाण्ट ना तो खातेदार काश्तकार हैं एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी रैस्पो0 का कथन रहा है कि प्रतिवादी अपीलाण्ट अपनी आराजी खसरा नम्बर 1353 रकवा 01 बीघा 05 विस्वा की आड में वादी रैस्पो0 की आराजी पर जबरन नींव खोदकर अतिक्रमण करना चाहते हैं। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलाण्ट को वादी रैस्पो0 की आराजी खसरा नम्बर 1968/1351 रकवा 1.15 बीघा वाके ग्राम रूदावल तहसील रूपवास में प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को कोई पक्का–कच्चा निर्माण कार्य एवं अतिक्रमण नहीं करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। जिससे अपीलाण्ट को किसी प्रकार से परिवेदित नहीं माना जा सकता क्योंकि स्थायी निषेधाज्ञा केवल वादी रैस्पो0 के रकवे में दखल अंदाजी नहीं करने बाबत् जारी की गयी है। यदि रैस्पो0, अपीलाण्ट की आराजी में दखल अंदाजी करते हैं, तो वह पृथक से सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने को स्वतंत्र हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

भू प्रबन्ध अधिकारी
सदन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2018 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 07.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर